भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2306

06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: शीतागार इकाइयां

2306. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाणः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपनी 100 दिन की कार्यसूची के अंतर्गत प्रत्येक गांव के प्रत्येक किसान तक पहुंचने और शीतागार इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि किसान अपने उत्पाद आसानी से अन्य राज्यों में भेज सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत में आयोजित होने वाले आगामी तीसरे विश्व खाद्य दिवस के लिए कोई मोबाईल ऐप शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का ऐप शुरू करने के लक्ष्य और उद्येश्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आपूर्ति श्रृंखला में लगभग 18 से 25 प्रतिशत खाद्यान्न तथा 45 प्रतिशत फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्यान्नों, सब्जियों और फलों की बर्बादी को कम करने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): 100-दिवसीय कार्यसूची में ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना मांग आधारित है। तथापि, सरकार फसलोपरांत नुकसान को कम करने के लिए पूरे देश में जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और खाद्यान्नों के लिए गोदामों/वेयरहाउस की स्थापना के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक कार्य योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाती हैं। कोल्ड स्टोरेज का घटक मांग/उद्यमी प्रेरित है जिसके लिए संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर पर सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडार-गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोरेज और कंट्रोल्ड एटमोस्फेयर (सीए) भंडार-गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयाँ भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) बागवानी और गैर-बागवानी उपज के फसल-उपरांत नुकसान को कम करने और किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के घटकों में से एक घटक नामतः इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना कार्यान्वित करता है। इस योजना के तहत, मंत्रालय स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% की दर से, रेडिएशन सहित इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये के अध्यधीन, और मूल्य वर्धन और प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

सरकार कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) को भी क्रियान्वित कर रही है, जो एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना है, जिसके तहत देश में कृषि उपज के भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए गोदामों/वेयरहाउसों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर परियोजना की पूंजी लागत पर मैदानी क्षेत्रों के लिए 25% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान करती है। यह सहायता व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, कृषि-उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि के लिए उपलब्ध है।

उपरोक्त सभी योजनाएं वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से मांग/उद्यमी प्रेरित हैं, जिसके लिए राज्यों/उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये का एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड (एआईएफ) लॉन्च किया है। एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड के तहत, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित फसल-उपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु 2.00 करोड़ रुपये तक के कोलेटरल-फ्री टर्म लोन का और लिए गए ऋण पर ब्याज में 3% की छूट का प्रावधान है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगामी थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) - 2024 के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, यह सहज, सुरक्षित मोबाइल एप्लिकेशन है जो उपयोगकर्ता को डब्ल्यूएफआई 24 से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करता है, जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठक, इवेंट एजेंडा के अपडेट, स्पीकर प्रोफाइल, नेविगेशन फीचर (रीयल टाइम वेन्यू और लोकेशन्स तक पहुंच में आसानी) शामिल है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कराए गए और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (एनएबीसीओएनएस) द्वारा 2022 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, चयनित फसलों में फसल-दौरान और फसल-उपरांत नुकसान की मात्रा 3.89% से 5.92% (अनाज), 5.65% से 6.74% (दालें), 2.87% से 7.51% (तिलहन), 6.02% से 15.05% (फल) और 4.87% से 11.61% (सब्जियाँ) के बीच देखी गई। फसल-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

प्रमुख कृषि फसलों और वस्तुओं की फसल-दौरान और फसल-उपरांत के नुकसान

क्रमांक	फसलों/वस्तुओं के नाम	% औसत हानि
	अनाज	
1.	धान	4.77
2.	गेहूँ	4.17
3.	मक्की	3.89
4.	बाजरा	4.37
5.	ज्वार	5.92
	दलहन	
6.	अरहर	5.65
7.	काबुली चना	6.74
8.	काला चना	5.83
9.	मूँग	6.19
	तिलहन	
10.	सरसों	4.46
11.	कॉटन सीड	2.87
12.	सोयाबीन	7.51
13.	कुसुम	3.06
14.	सूरजमुखी	4.38
15.	मूँगफली	5.73
	फल	
16.	सेब	9.51
17.	केला	7.57
18.	सिट्रेस	7.71
19.	अंगूर	7.15
20.	अमरूद	15.05
21.	आम	8.53
22.	पपीता	6.59
23.	चीकू	9.53
24.	अनानास	6.02
25.	अनार	6.82
26.	खरबूजा	6.83
	सब्जियां	
27.	बंदगोभी	8.15
28.	फूलगोभी	7.89

29.	हरी मटर	6.43
30.	मशरूम	7.20
31.	प्याज़	7.26
32.	आलू	5.96
33.	टमाटर	11.61
34.	टैपियोका	4.87
35.	लौकी	7.01
36.	बैंगन	7.41
37.	बीन्स	7.11
38.	मूली	6.46
39.	शिमला मिर्च	5.15
40.	भिंडी	6.01
	पशुधन उत्पादन	
41.	अंडा	6.03
42.	इनलैंड फिश	4.86
43.	मेरीन फिश	8.76
44.	मांस	2.34
45.	पोल्ट्री मांस	5.63
46.	दूध	0.87
	रोपण फसलें और मसाले	
47.	सुपारी	4.41
48.	काजू	3.72
49.	नारियल	3.86
50.	गन्ना	7.33
51.	काली मिर्च	1.29
52.	मिर्च	6.11
53.	धनिया	5.32
54.	हल्दी	5.36

स्रोत: भारत में कृषि उत्पादों के फसलोपरांत नुकसान को निर्धारित करने के लिए एमओएफपीआई द्वारा कराए गए और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) द्वारा 2022 में प्रकाशित किया गया अध्ययन।

*****